न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2021(उदयपुरआर्डर)

1. अम्बासिंह पिता स्व. मोतीसिंह, जाति जरफा (राजपूत), निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती केसीबाई पुत्री स्व. मोतीसिंह पत्नी तुलसीसिंह, जाति राजपूत, निवासी नारों का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती बसन्तीबाई पुत्री स्व. मोतीसिंह पत्नी मनोहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी डुलावतों का गुड़ा, झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. मोतीसिंह पत्नी किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी घाटा की भागल, मोड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती बबुडीबाई पुत्री स्व. मोतीसिंह पत्नी चम्पासिंह, जाति राजपूत, निवासी चलवा, नन्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती मोवनी पत्नी स्व. मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नानसिंह पिता उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. देवीसिंह पिता उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रूपसिंह पिता गुलाबसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सोहनसिंह पिता परथा, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती धुलीबाई पुत्री परथा, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. डाकुबाई पुत्री उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. कालू पिता मनाजी, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती देवली पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. सोहनबाई पुत्री नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी लौहारों की भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्डअधिकारी, गोगुन्दा प्रकरण संख्या 94/2020 दिनांक 04.03.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)

1. श्री संजय बोहरा अभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौह... अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयदिनांक 20–10–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नान्देशमा में परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1107, 1108, 1109 कुल किता 3 रकबा 0.1050 हैक्टर एवंपरिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 1114 कुल किता 1 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थीगण के पिता मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह का राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज है।विपक्षी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, तुलसीबाई जिसका निधन हो चुका है, जिसके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 6 हैं। विपक्षी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, परथा पिता मनजी का 1/6 हिस्सा जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसविपक्षी संख्या 4 व 5 हैं, का 1/24 हिस्सा,विपक्षी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा,विपक्षी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 9 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। सुविधानुसार मौके पर सभी अलग अलग काश्त करते हैं तथा अलग–अलग पालियां पड़ी हुई है, किन्तु भूमि का बन्ध एवं माप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के पिता मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह का राजस्व रेकार्ड में 1/6 हिस्सा दर्ज है, जिसके वारिसान प्रार्थीगण हैं, किन्तु नामान्तरकरण नहीं हुआ है एवं इससे पूर्व ही विपक्षीगण मौके पर निर्माण करने पर उतारू हैं। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–12–2020 को प्रकरण में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसे दिनांक 04–03–2021 अपास्त करते हुए प्रकरण में आगे की कार्यवाही शेष नहीं रहना मानते हुए पत्रावली फैसल शुमार कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्टगण ने कभी भी विवादित आराजियात का कालूराम पिता जमना शंकर को विक्रय नहीं किया तथा मौके पर अपीलान्टगण अपने हक हिस्से की जमीन पर काश्त कर रहे हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्टगण के मौखिक कथनों के आधार पर भूमि का विक्रय मानकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश पारित करने में भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक नजीरें **RRT 2003 (1) Page 516, RBJ 2002 Page 47, RBJ 1999 Page 377, RRD 1995 Page 764, RBJ 2010 Page 178, RBJ 2000 Page 463** प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–12–2020 को प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, किन्तु अपने निर्णय दिनांक 04–03–2021 से यह कहते हुए अपने पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30–21–2020 को अपास्त किया कि वादी ने अपने हिस्से की भूमि में से कुछ हिस्सा कालूलाल एवं जमना शंकर को विक्रय कर दिया है तथा वादग्रस्त आराजियात पर सभी पक्षकारों ने अपने–अपने मकान बना लिऐ हैं। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन साक्ष्यों के विपरीत है, क्योंकि अपीलान्टगण द्वाराकालूलाल एवं जमना शंकर को विक्रय करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र विपक्षीगण के कथनों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विचार नहीं किया है। स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पक्षकारों की सहखातेदारी की मानते हुए उनके पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, जिसे बाद में बिना किसी ठोस आधार के अपास्त कर दिया, जबकि अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों अनुसार भी विशिष्ट परिस्थितियों में एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04–03–2021 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को इस आशय से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:28 IST
Reason: SelfAttested